दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 852/OA-501/MzR/2019

दिनाँक Dated 28-8-19

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- Compliance to the direction issued on 30.05.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 501/2019 Sundr Vs. Ministry of Environment & Forest & Ors.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the action taken report to the direction issued on 30.05.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 501/2019 Sundr Vs. Ministry of Environment & Forest & Ors.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Vivek Roy)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 501/2019 सुन्दर बनाम मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेन्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 501/2019 सुन्दर बनाम मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेन्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"Grievance in this application is that poultry farm is being illegally operated by Chandrabhan and Chandrapal at Mannugarh, District Shamli, Uttar Pradesh in violation of environmental norms. In spite of various complaints, no action has been taken. Ammonia gas is being emitted from the waste material of the poultry farms. The farm has 30,000 birds and 2 units of commercial layers having capacity of 10,000 birds each and the same is 20 mts. away from the public road and close to school. The odour of the pollution is affecting the health of the children.

Let the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. ....."

उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा मै0 मलिक पोल्ट्री फार्म, ग्राम म्यान कस्बा, जिला शामली, उ0प्र0 का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 26.07.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय के इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री चन्द्रभान सिंह मलिक, प्रोपराइटर उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1– उक्त पोल्ट्री फार्म ग्राम म्यान कस्बा (मन्नूगढ), तहसील ऊन, जिला शामली में स्थापित है।

2– उक्त पोल्ट्री फार्म शामली–करनाल मार्ग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं माध्यमिक विद्यालय बिडौली लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं ग्राम म्यान कस्बा (मन्नूगढ) की मुख्य आबादी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है।

3– उक्त पोल्ट्री फार्म की क्षमता क्षमता 50000 पक्षियों की है। वर्तमान में 30000 पक्षियों की लेयर फार्म यूनिट स्थापित एवं संचालित है। इसके अतिरिक्त 02 यूनिट कॉमर्शियल लेयर 10,000 पक्षी प्रत्येक क्षमता की यूनिट स्थापित है। संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त यूनिट शीघ्र संचालित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त पोल्ट्री फार्म के चारों ओर लगभग 8 फीट ऊंची बाउण्ड्री वॉल स्थापित है।

क्रमशः ...2....

4– उक्त पोल्ट्री फार्म में केज के नीचे ठोस अपशिष्ट के रूप में जनित बीट का एकत्रण किया जाता है, जो कि चारों तरफ लोहे की जाली से कवर्ड किया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)। मौके पर उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एकत्रित ठोस अपशिष्ट (बीट) को मासिक रूप से खाद के रूप में उठवाया जाता है। निरीक्षण के समय बीट्स भण्डारण स्थल पर अमोनिया गैस उत्सर्जन मौके पर नहीं पाया गया, जो कि ठोस अपशिष्ट (बीट) की Periodic निस्तारण व्यवस्था के कारण है। निरीक्षण के समय ठोस अपशिष्ट Transportation की लॉग बुक maintain किये जाने के लिए इकाई प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

5– निरीक्षण के समय पाया गया कि इकाई में मक्खियों आदि की रोकथाम हेतु कीटनाशक व चूने का छिड़काव किया जाता है। इकाई में कीटनाशक व चूने का भण्डारण पाया गया (फोटोग्राफ संलग्न) तथा डिस्पेन्सर मशीन कार्यरत् पायी गयी, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स के अनुरूप प्रक्रिया है

6– इकाई में मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु गहरे एवं कवर्ड पक्के टैंक की व्यवस्था की गयी है, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स के अनुरूप ही है (फोटोग्राफ संलग्न)।

7– निरीक्षण के समय इकाई के आसपास मक्खी–मच्छर की बहुतायत अथवा दुर्गंध की समस्या व्याप्त नहीं पायी गयी।

8– इकाई में जल का प्रयोग बर्ड्स को पानी पिलाने एवं घरेलू प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सैप्टिक टैंक के माध्यम किया जाता है।

9– निरीक्षण के दौरान इकाई प्रतिनिधि द्वारा पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान का सहमति पत्र, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी शामली का पत्र दिनांक 05.09.2018 व स्थल उपयुक्तता के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी। उक्त प्रपत्रों में स्थल उपयुक्त पाया गया है एवं मन्तव्य दिया गया है कि पोल्ट्री फार्म की स्थापना से ग्राम में कोई बीमारी फैलने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

10– निरीक्षण के समय इकाई में हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।

11– उक्त पोल्ट्री फार्म की क्षमता 50,000 बर्ड्स की है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक B-29012/IPC-VI/2017-18 दिनांक 19.07.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) में निम्नवत् दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं:–

1- Poulty farms less than one lakh birds neet not to obtain Consent to Operate, as per CPCB Guidelines circulated vide letter no. B-4032/PCI-SSI/poulty/2015 dated 20.10.2015.

क्रमशः ...3...

2- The poultry farms which are handling one lakh or more birds at a given time in single location need to approach State Pollution Control Board to obtain necessary Consent to Operate under the Water Act, 1974.

3- Environmental Guidelines for Poultry Farm including minimization of odour pollution, management of solid waste, management of waste water discharge, good housekeeping practices is applicable to all poultry farm irrespective of no. of birds.

उक्त पोल्ट्री फार्म की क्षमता 50,000 बर्ड्स होने के कारण, जो कि एक लाख बर्ड्स से कम की क्षमता होने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 19.07.2017 में जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत इकाई द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पोल्ट्री संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.07.2017 को जारी दिशा–निर्देशों में क्रम संख्या–3 के अनुसार इकाई को दुर्गंध नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज प्रबन्धन एवं गुड हाउसकीपिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में इकाई को directions प्रेषित किया जाना उचित होगा।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता

(डा0 डी0सी0 पाण्डेय)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

फोटोग्राफ नं0–1

ठोस अपशिष्ट के रूप में जनित बीट एकत्रण, जो कि चारों तरफ लोहे की जाली से कवर्ड किया गया है

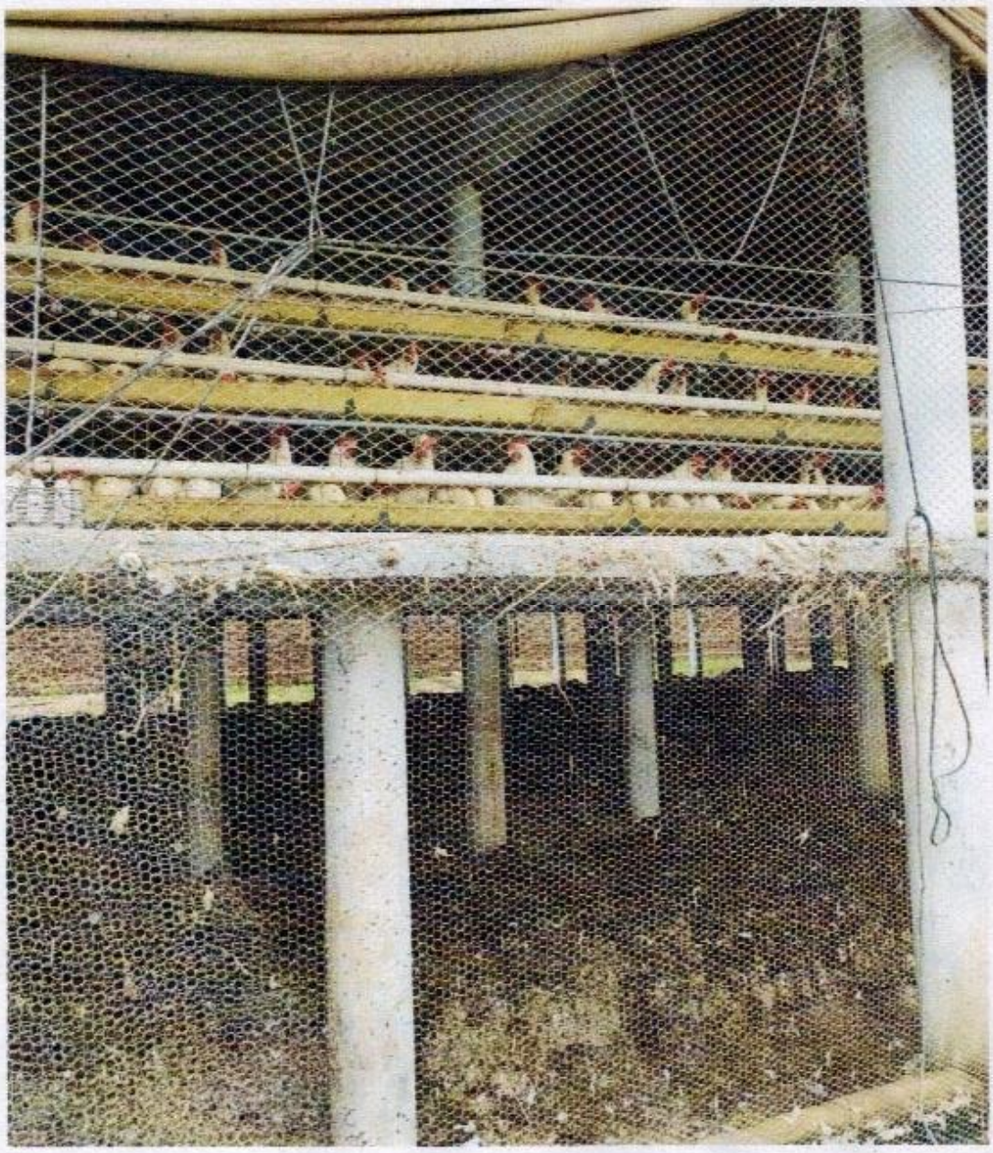

फोटोग्राफ नं0–2

कीटनाशक एवं चूने का भण्डारण व डिस्पेन्सर मशीन

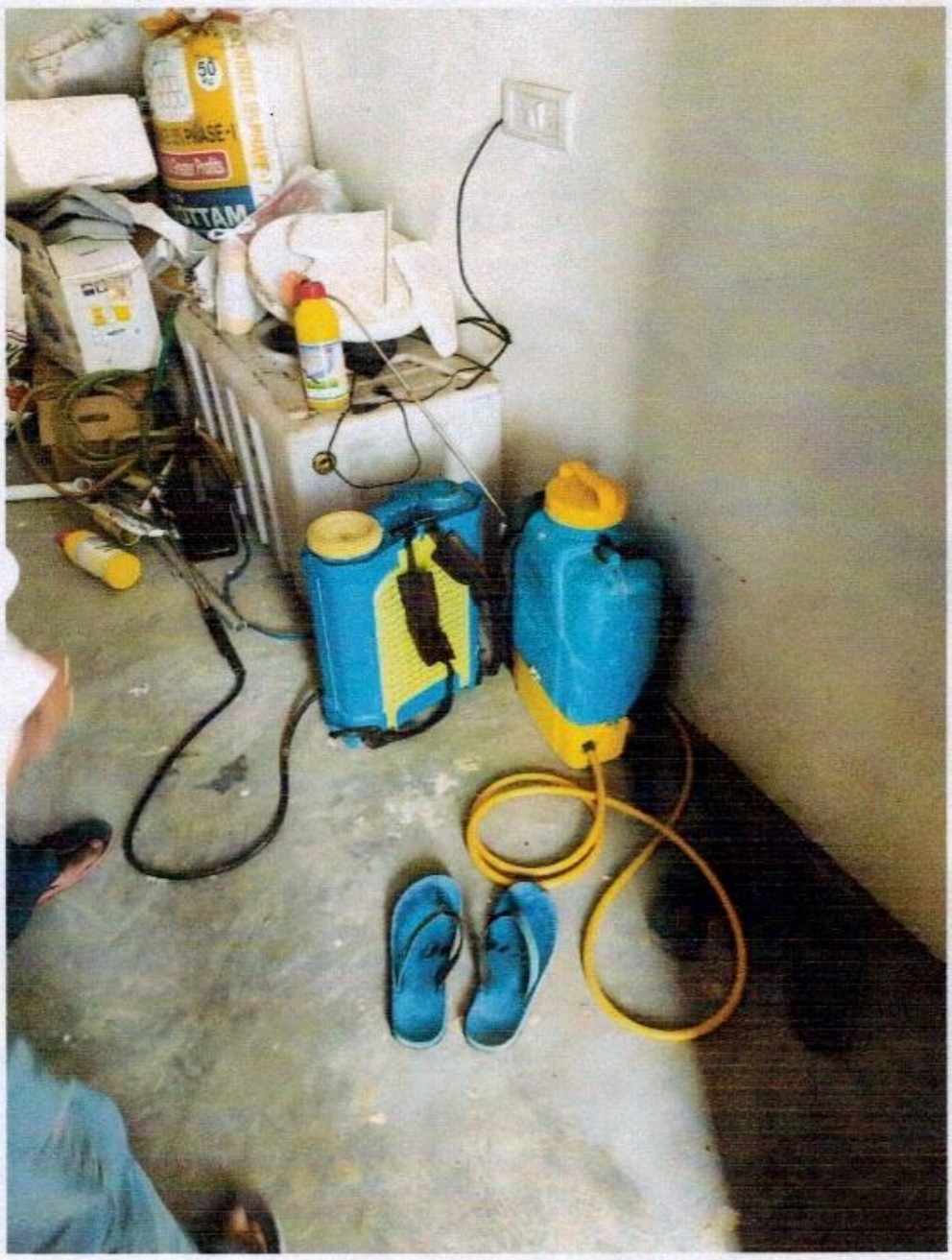

फोटोग्राफ नं0–3

मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु कवर्ड पक्का टैंक

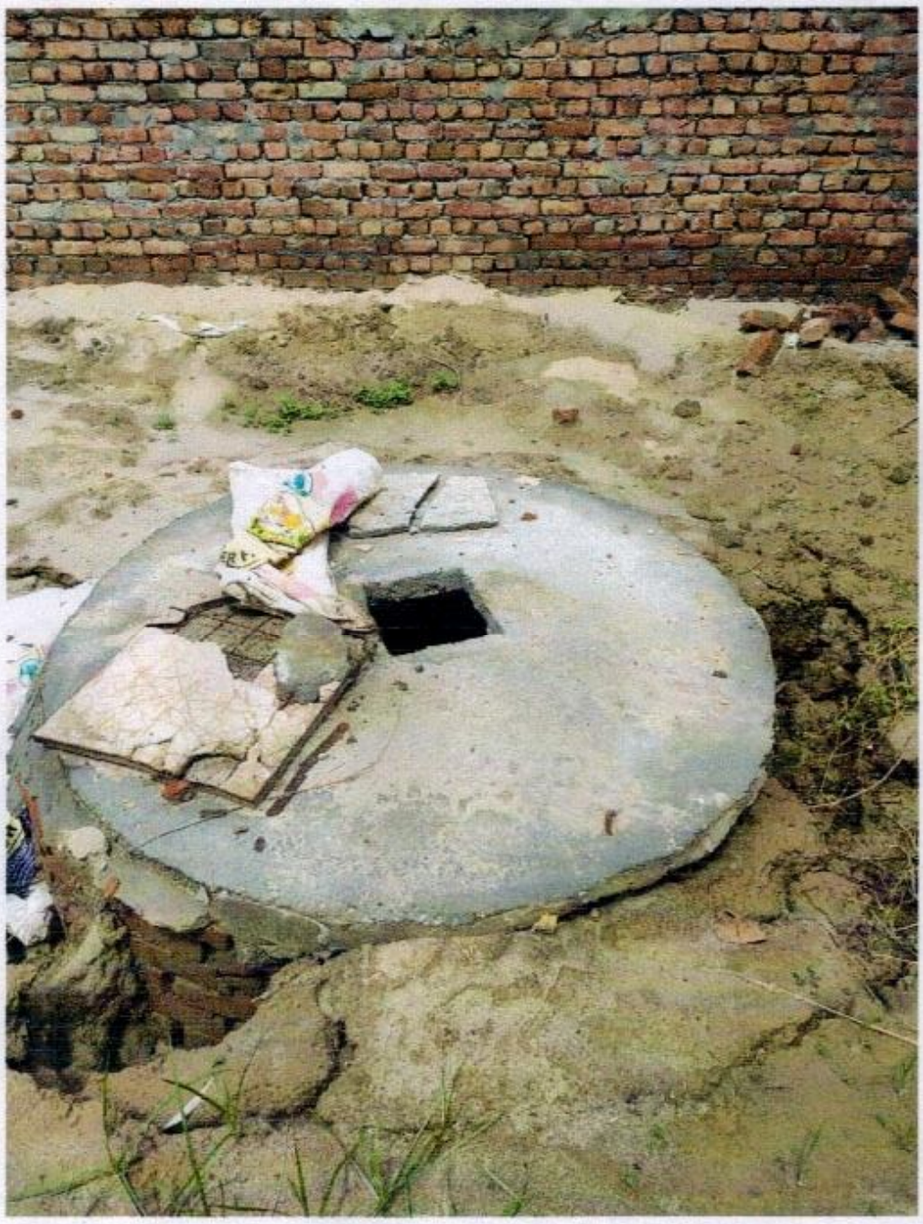

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 755/OA-501/MZR/2019 — दिनाँक Dated 31-7-19

सेवा में,

मै0 मलिक पोल्ट्री फार्म
(द्वारा–श्री चन्द्रभान सिंह मलिक)
ग्राम म्यान कस्बा (मन्नूगढ़)
तहसील–ऊन, जिला शामली।

विषयः–पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध प्राप्त जनशिकायत के सम्बन्ध में जारी निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पोल्ट्री फार्म संचालन के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 501/2019 सुन्दर बनाम मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेन्ट एण्ड फारेस्ट एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में आपकी इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.07.2019 में कराया गया। आपके पोल्ट्री फार्म के विरूद्ध दुर्गंध के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त के सम्बन्ध में आपको केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 20.10.2015 को जारी पोल्ट्री फार्म हेतु जारी Environmental Guidelines का अनुपालन किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :–

1– इकाई में स्थित बर्ड्स से जनित बीट्स को नियमित रूप से प्रत्येक 15 दिवस में उठाकर बायोकम्पोस्टिंग प्रक्रिया अपनाते हुए निस्तारित किया जाये।

2– इकाई के चारों ओर सुगन्धित प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाये, जिससे दुर्गंध की समस्या उत्पन्न न हो तथा विभिन्न प्रकार के Gaseous Emissions का समुचित adsorption सुनिश्चित हो सके।

3– बर्ड्स से जनित बीट्स को periodic रूप से उठाने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग किये जाने हेतु लॉग बुक का प्राविधान रखा जाये।

4– केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप cleaning प्रक्रिया से उत्पन्न उत्प्रवाह का निस्तारण समुचित drainage व्यवस्था द्वारा इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये, जिससे किसी भी दशा में water stagnation की समस्या उत्पन्न न हो। Water consumption को नियंत्रित किये जाने की दिशा में self watering devices का प्राविधान किया जाये। Cleaning प्रक्रिया में pressure pumps, hot water अथवा steam का प्रयोग cold अथवा plain water के स्थान पर किया जाये, जिससे समुचित sanitation व्यवस्था स्थापित हो तथा Wash water की quantity नियंत्रित हो सके।

क्रमशः ....2...

5– मक्खी–मच्छर की रोकथाम हेतु नियमित रूप से कीटनाशकों एवं चूने आदि का छिड़काव किया जाये एवं इस हेतु भी लॉग बुक का प्राविधान किया जाये, जिससे उक्त के प्रयोग की frequency नियमित रूप से monitored होती रहे।

6– इकाई द्वारा good housekeeping practices के अन्तर्गत flies control, rodents control, loading-unloading की प्रक्रिया नियंत्रित करने, समुचित fire and accidents safety provisions किये जाने, समुचित feed management practices तथा good pest management practices केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुरूप adopt किये जाने की प्रक्रिया प्रत्येक दशा में अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्गत निर्देशों का अनुपालन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस के अन्दर सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDI

SPEED-POST

F. No. B-29012/IPC-VI/2017-18/

July 19, 2017

To

The Member Secretaries
All SPCBs/PCCs

Sub: Clarification in the matter of Revised Categorization of the industrial Sector namely "Poultry, Hatchery and Piggery" and dealing new category of industry for classification and review of existing category

Sir,

Modified Directions are issued by CPCB on 07.03.2016 under Section 18 (1)(b) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 on "Revised Classification of Industrial Sectors under Red, Orange, Green and White Categories". In this context, references are received by Central Pollution Control Board for elaboration of the activities covered under the industrial sector namely **"Poultry, Hatchery and Piggery"** which is placed at Sl. No 33 in Green category of industrial sectors. The matter has been examined and following clarification is hereby issued:

1. Poultry farms less than one lakh birds need not to obtain Consent to Operate, as per CPCB Guidelines circulated vide letter no. B-4032/PCI-SSI/poultry/2015 dated 20.10.2015.
2. The poultry farms which are handling one lakh or more birds at a given time in single location need to approach State Pollution Control Board to obtain necessary Consent to Operate under the Water Act, 1974.
3. Environmental Guidelines for Poultry Farm including minimization of odour pollution, management of solid waste, management of waste water discharge, good housekeeping practices is applicable to all poultry farm irrespective of no. of birds.

As per direction dated 7.3.2016 on categorisation of industries, the SPCBs/PCCs were asked to categorise any new or left-over industrial sector, if any, at the level of concerned SPCB/PCC following the criteria and guidelines prescribed by CPCB. In case, SPCBs/PCCs received any references / their own issues regarding categorisation of industries (existing / new), it can be decided at the level of concerned SPCBs/PCCs as per pollution index assessment.

Yours faithfully,

(A. B. Akolkar)
Member Secretary

Copy to:
The Joint Secretary (CP Div.)
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
Room No P320, Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jor Bagh Road
New Delhi - 110 003

Divisional Head, IT Div., CPCB : for uploading on the website of CPCB

17-7-18

श्री चन्द्रभान सिंह मलिक
ग्राम- मयान कस्बा (मन्सूरगढ़)
शामली

हर्ष का विषय है कि उ०प्र० पोल्ट्री नीति के अन्तर्गत आपके द्वारा अपनी कृषि भूमि मे अपने निवास के साथ साथ उक्त सरकारी योजना मे पोल्ट्री फार्म स्थापित करने की हमारे द्वारा सहर्ष सहमति प्रदान की जाती है। अपेक्षा है कि इससे ग्रामीण युवको को रोजगार व अन्य सुविधा प्राप्त होगी।

[signature]
17.7.18 ग्राम प्रधान
मयानकस्बा (मन्सूरगढ़)
शामली

AZAD SINGH
PRADHAN
Gram Panchayat Myan Qasba
Vikas Khand Una (Shamli)

ऑनलाईन संदर्भ
सं0–40020618013068
दिनांक 31–08–2018

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0–लखनऊ।

पत्रांक 1086 /आई0जी0आर0एस0/2018–19 दिनांक 5/9/2018

विषयः श्री धर्मपाल, ग्राम पंचायत–म्यान कस्बा, ब्लाक व तहसील–ऊन, शामली (मो0नं0–8954569892) आई0जी0आर0एस0 पर की गई शिकायत संख्या 40020618013068 दि0 31–08–2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री धर्मपाल, ग्राम पंचायत–म्यान कस्बा, ब्लाक व तहसील–ऊन, शामली (मो0नं0–8954569892) द्वारा आई0जी0आर0एस0 पर की गई शिकायत संख्या 40020618013068 दि0 31–08–2018 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि श्री चन्द्रभान पुत्र श्री जिले सिंह निवासी–म्यान कस्बा मन्नूगढ थाना–झिझाना, शामली में उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 के तहत 30000 पक्षियों की एक कामर्शियल लेयर फार्म यूनिट एवं दस–दस हजार पक्षियों की 02 कार्मिशयल लेयर यूनिट की स्थापना ग्राम मन्नूगढ से पूरब–पश्चिम दिशा में अपने स्वंय के खेत में नियमानुसार की जा रही है, जिससे वर्तमान में ग्राम में कोई बीमारी फैलने की सम्भवना प्रतीत नही होती है। महोदय उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के प0स0 B-29012/IPC-VI/2017-18 dated 19-07-2017 के बिन्दु–1 में CPCB की गाईडलाईन्स (संलग्न) प0स0 B-4032/PCI-SS/poultry/2015 dated 20-10-2015 के अनुसार 1.00 लाख से कम पक्षियों के पोल्ट्री फार्म स्थापित करने हेतु सहमति की आवश्यकता नही है। उक्तानुसार शिकायत का निस्तारण किया जाता है। आख्या आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 राजेश कुमार)
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

पत्रांक /आई0जी0आर0एस0/2018–19 दिनांक

प्रतिलिपि– श्री धर्मपाल ग्राम पंचायत–म्यान कस्बा, ब्लाक व तहसील–ऊन, शामली को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

निरीक्षण आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रभान सिंह मलिक, व श्रीमति पूजा मलिक निवासी, ग्रा0–म्यान कस्बा, विकास खण्ड–ऊन, शामली द्वारा कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले कामर्शियल लेयर फार्म 30000 पक्षियों की यूनिट स्थापित करने हेतु स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित स्थल मेरठ–करनाल हाइवे पर ग्राम–म्यान कस्बा, (मन्नूगढ) से उत्तर दिशा में काला माजरा वाली सडक पर ग्राम से लगभग 600 मी0 की दूरी पर है। स्थल पर जलभराव की स्थिति नही है। एवं इसके आस–पास कोइ बाग आदि नही है। स्थल यूनिट स्थापित करने हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है। आख्या सादर सूचनार्थ प्रस्तुत है।

(डा0 राजेश कुमार),
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।